उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–04
संख्या– 123 / XX–4 / 2024–02सी(01) / 2021
देहरादूनः दिनांक 22 अप्रैल, 2024

अधिसूचना संख्या–122/ XX–4 / 2024–02सी(01) / 2021, दिनांक 22 अप्रैल, 2024 द्वारा प्रख्यापित "**उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियमावली, 2024**" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी)।
3– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 50 प्रतियां गृह अनुभाग–04, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से,

(चन्द्र बहादुर)
उप सचिव

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 122 xx-4/2024-02c(01)2021 dated 22 April, 2024 for general information.

Government of Uttarakhand
Home Section-04
No. 122(01)/XX-4/2024-02c(01)/2021
Dehradun : Dated: 22 April, 2024

Notification

In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 25 read with section 24 of the Private Security Agency (Regulation) Act, 2005 (Act no. 29 of 2005) with a view to amend the Uttrakhand Private Agency Rules, 2022 the Governor, is pleased to allow to make the following rules, namely:-

The Uttarakhand Private Security Agency (Amendment) Rules, 2024

Short title and commencement

1 (1) These Rules may be called the Uttarakhand Private Security Agency (Amendment) rules, 2024.

(2) It shall come into force at once

Amendment of rule 4

2 In rule 4 of Uttarakhand Private Security Agency Rules, 2022,

(i) for the existing sub clause (a) of clause (IV) of sub rule (3) as set out in column I below, the rule as set out in column II shall be substituted, namely :-

Column I Existing rule	Column II hereby substituted rule
Uniform	(a) The guards and supervisors of the agency shall not wear uniforms (blue, khakhi, camouflage), similar to those of the Army, Paramilitary Forces and Police, but shall wear uniform of any other color in contrast to this and in the application form in this regard undertaking shall be obtained from the agency operator.

(ii) for the sub rule (7) as set out in column I below, the rule

as set out in column II shall be substituted, namely:-

Column I Existing rule	Column II hereby substituted rule
(7) Save as provided in these rules the fees paid of a license shall be non-refundable	7(a) If, after having applied for the license, request to cancel the application is received, then the fees deposited by the applicant shall not be refunded. (b) Whereas, the online procedure has been adopted since 2020, therefore the abovesaid Rule 7(a) shall also be applicable in respect of fees deposited online. (c) The fees deposited by the applicants, whose licenses have either been rejected/not recommended either by the concerning District Magistrate/State Controlling Authority, shall not be refunded.

(iii) After sub rule (9) new sub-rule (10) shall be inserted as follows namely:-

"(10) for getting license under Uttarakhand Private Security Agency Rules 2022, only application forms of such firms shall be accepted in which the words **"private security"** is clearly mentioned, but for applications received before the notification of these amendment rules, the previous rules shall be applicable."

(Dilip Jawalkar)
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–04
संख्या : 122 /XX-4/24–02सी(01)/2021
देहरादून : दिनांक : 22 अप्रैल, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 29) की धारा 25 की उपधारा (1) सपठित धारा 24 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2022 में संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियमावली, 2024' है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–4 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2022 में, नियम 4 में,

(i) स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (3) के खण्ड (iv) के उपखण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
वर्दी	(क) एजेंसी के गार्ड एवं सुपरवाईजर द्वारा सेना, अर्द्ध सैनिक बल एवं पुलिस से मिलती–जुलती वर्दी (ब्लू, खाकी, कैमोफ्लैज (छद्म आवरण) धारण नहीं की जायेगी, अपितु इसके विपरीत किसी अन्य रंग की वर्दी धारण की जायेगी और इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र में एजेंसी संचालक से वचन पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(ii) स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम (7) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(7) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी।	(7)(क) यदि लाईसेंस हेतु आवेदन करने के उपरान्त, आवेदन निरस्त करने का अनुरोध प्राप्त होता है, तो आवेदक द्वारा जमा किये गये शुल्क को वापस नहीं किया जायेगा। (ख) चूंकि वर्ष 2020 से ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया को अपनाया गया है, अतः ऑनलाईन माध्यम से जमा किये गये शुल्क के सम्बन्ध में भी उपरोक्त नियम–7(क) लागू होगा। (ग) ऐसे आवेदक, जिनके लाईसेंस हेतु सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/राज्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा संस्तुति नहीं की गयी अथवा स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, उनके द्वारा जमा किये गये शुल्क को वापस नहीं किया जायेगा।

(iii) उपनियम (9) के पश्चात् नया उपनियम (10) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(10) उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2022 के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त किये जाने हेतु मात्र ऐसी फर्मों के आवेदन पत्रों को ही स्वीकार किया जायेगा, जिसमें "**प्राईवेट सिक्योरिटी**" शब्दों का स्पष्ट उल्लेख होगा, परन्तु इस संशोधन नियमावली की अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर पूर्व के नियम लागू होंगे।"

(दिलीप जावलकर)
सचिव।